अपील / एलआर / 4664 / 2003 / जिला चित्तौडगढ
कालू बनाम चम्पालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10–2–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट । श्री तेजेन्द्र सिंह उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–7–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत अति0 जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू आवंटन कमेटी ने बिना जांच पडताल किये प्राशासन गांव के संग अभियान में खसरा नंबर 266 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं.1 व 2 को आवंटित कर दी। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त है व उसकी गैर खातेदारी में दर्ज है। अति0 जिला कलेक्टर चित्तौडगढ अपने आदेश दिनांक 25–10–02 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8–7–03 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि उक्त आवंटित भूमि अपीलांट के पिता एवं उनके भाई मोडा के नाम दिनांक 31–3–80 को एक बाडा नियमानुसार आवंटित किया गया था जिसके संबंध में नामांतरकरण सं. 222, 223 दिनांक 14–8–80 ग्राम तितरडा तहसील डूंगला जारी किये गये। किंतु विवादित भूमि का अमल दारामद राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से रेस्पोडेंट सं.1 के पक्ष में आवंटन कर दिया। आवंटित भूमि उसके बाडे के पास है, जो रास्ते की भूमि है जिसका आवंटन नहीं हो सकता। आराजी खसरा नंबर 266 मिन का रकबा 5 बीघा 7 है, जिसमें से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन होना मानते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया है। आवंटन आदेश काल्पनिक एवं बिना जांच पडताल किया गया था। आवंटन अधिकारियों ने उद्घोषण जारी नहीं की और ना ही आवंटन कमेटी का गठन किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट का आवंटन निरस्त किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	4— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट को विवादित आराजी का आवंटन तहसीलदार डेगला की उपस्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार किया गया था। रेस्पोडेंट ने आराजी फर्जी तरीके से आवंटित नहीं करवाई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत चलने योग्य नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। **6.** पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 266 का कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा है जिसमें आवंटी रेस्पोडेंट सं.1 को 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी उसके बाडे के पास होने से निरस्त करने की मांग की है किंतु यह तथ्य उजागर करने में असफल रहे कि आवंटित भूमि उसके आवंटित बाडे की ही है। अपीलांट ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रेस्पोडेंट का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया है, किंतु अपीलांट यह सिद्ध करने में में विफल रहे है कि फर्जी, छलपूर्वक व गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा नियमन/आवंटन कराया गया हो। अतः यह सिद्ध नहीं होता की रेस्पोडेंट के पक्ष में अनियमित नियमन/आवंटन हुआ हो। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार :— *"(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules, either suo-moto or on an application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment. Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."* उक्त नियम के अनुसार आवेदक ने आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो तो निरस्त किया जा सकता है जो उपरोक्त उल्लेखित, विवेचित तथ्यों से प्रकट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नहीं होता। आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत मिसरिप्रजेंटेशन या fraud के द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराने या नियमों के विरूद्ध आवंटन कराने पर या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना करने पर ही आवंटन खारिज करने का प्रावधान है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियम 14(4) की उक्त शर्तो की अवहेलना नहीं पाई है। अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध माना जा सके। रेस्पोडेंट को जो 1 बीधा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है, वह उस समय सबंधित सक्षम प्राधिकारी/आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार किया जाना पाया जाता है।ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये अपीलांट का आवंटन विधि अनुसार निरस्त किया है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने अपील ज्ञापन में अथवा दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि कारित की गई हो। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि अति0 जिला कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय और उसे बहाल रखते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–7–03 में विधि अथवा तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। 8. परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	